न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल

(47)

निगरानी- 3356/2018/होशंगाबाद/भू.रा

नवल किशोर चौधरी आत्मज स्व. कन्हैयालाल चौधरी
उम्र 68 वर्ष, धंधा कृषक, निवासी– ग्राम तीखड़
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद

----- **पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

आवेदक अभि. श्री सी.के. पटेल द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 3/5/18

1. उमेश कुमार मेहतो आत्मज स्व. बृजलाल मेहतो
आयु 68 वर्ष पेशा शासकीय सेवानिवृत्त
निवासी ग्राम शाहपुर, तहसील शाहपुर
जिला बैतूल म.प्र.
2. रमेश कुमार चौधरी आत्मज बनवारीलाल चौधरी
आयु 73 वर्ष, पेशा शासकीय सेवानिवृत्त
निवासी ग्राम पथरौटा, तहसील इटारसी,
3. महेश कुमार आत्मज राधेलाल उम्र 66वर्ष
पेशा कृषी निवासी ग्राम सोमलवाड़ा
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद
4. कौशल किशोर आत्मजा हजारीलाल उम्र 63वर्ष
पेशा कृषी, निवासी ग्राम तीखड़
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद
5. हरेराम आत्मज स्व. बनवारी लाल उम्र 56 वर्ष
धंधा–शासकीय नौकरी, निवासी जूनियर एम.आई.जी. 50
अफसरा सिनेमा के पीछे, पुराना सुभाष नगर भोपाल
तहसील व जिला भोपाल
6. श्रीराम आत्मज कन्हैयालाल उम्र 81 वर्ष
धंधा कास्तकारी, निवासी ग्राम तीखड़,
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद
7. अशोर कुमार आत्मज बनबारी लाल उम्र 52 वर्ष
धंधा नौकरी, निवास– मकान नं. 25, गायत्री नगर,
आटा चक्की के सामने देवास, जिला देवास

---- उत्तरवादीगण

D/CK/782

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा संहिता

पुनरीक्षण निम्नानुसार निवेदन करता है :–

पुनरीक्षणकर्ता यह याचिका तहसीलदार महोदय इटारसी के रा.प्र.क. 65–अ–6 वर्ष 2005–06 मौजा ग्राम तींखड़ में पारित आदेश दिनांक 3/1/2018 एवं 19.04.2018 से दुखि एवं क्षुब्द्ध होकर माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3356/18/होशंगाबाद/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-6-2018	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कोपर विचार किया गया । तहसीलदार इटारसी के आदेश दिनांक 3-1-18 एवं 19-4-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन कियागया । अपर कलेक्टर जिला होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक 116/विधि-1/17/उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन क्रमांक एमसीसी नम्बर 2869/2015 की छायाप्रति तहसीलदार को प्रेषित की गई । तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाहीपुन: प्रारंभ की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	